भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2788

(दिनांक 03.08.2016 को उत्तर के लिए)

प्रतिनियुक्ति नियमों का उल्लंघन

2788. श्री सी॰ आर॰ पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन लाभ के नियतन को सुगम बनाने के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व सरकारी सेवकों को उनके मूल संगठन/कार्यालय में प्रतिनियुक्त करना होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुचित मौद्रिक लाभ के लिए अध्किारियों द्वारा इस प्रावधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है जिससे गत कई वर्षों से सार्वजनिक कोष को नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार से वित्तीय अनियमितता के मामलों का पता लगाने तथा इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार ने मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए हैं/जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालयों से प्राप्त ऐसे निदेशों/फीडबैक का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : प्रतिनियुक्ति आधार पर किसी पद पर नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पद के भर्ती नियमों में निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए की जाती है। जब तक प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रचलित अनुदेशों के अनुसार सरकार द्वारा बढ़ाई न जाए इस प्रकार की प्रतिनियुक्त की अवधि के समाप्त होने के बाद, सरकारी सेवक को मूल संस्था/कार्यालय में वापस आना होता है। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से निर्धारित अवधि से पूर्व प्रत्यावर्तन को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देशों में भी कुछ मामलों जैसे प्रोन्नति का लाभ उठाने के लिए मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन का प्रावधान किया गया है। तथापि ऐसे विनिर्दिष्ट अनुदेश नहीं हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति वाले सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति से पूर्व मूल संस्था/कार्यालय में वापस आना केवल इसलिए आवश्यक हो कि पेंशन लाभ के नियतन को सुगम बनाए जा सके।

(ख) से (घ) तक : केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 33 तथा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) विनियम, 1988 में पेंशन की गणना करने के लिए परिलब्धियां को ध्यान में रखा गया है।

*****